भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 437

दिनांक 06 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में रोग निगरानी संबंधी अवसंरचना

437. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रोग निगरानी संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने और उसमें सुधार करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में मौजूदा रोग निगरानी संबंधी अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार महानगर जन स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों की स्थापना करने का विचार रखती है; और

(ड) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसी कोई इकाइयां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग): देश में रोग निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) कागज को आधारित साप्ताहिक रिपोर्टिंग से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म (आईएचआईपी) के माध्यम से कागज रहित रिपोर्टिंग में बदला गया है। आईएचआईपी ऐसा सूचना मंच है जो विभिन्न "रजिस्ट्रियों" से डेटा को एकीकृत करता है ताकि नीति निर्धारकों को उचित जन स्वास्थ्य कार्रवाई करने के लिए पूरे भारत से स्वास्थ्य निगरानी संबंधी लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 05अप्रैल 2021 को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पोर्टल शुरू किया। इसे आईएलआई/ एसएआरआई, कोविड-19 और मंकी पॉक्स की विशेष निगरानी के साथ-साथ 33 से अधिक स्वास्थ्य स्थितियों का मामला-आधारित डेटा कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर व्यक्तियों की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी का एकल ऑपरेटिंग

प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वर्तमान में, सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पूरी तरह से आईएचआईपी पोर्टल पर स्थानांतरित हो गए हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), जो एनसीडीसी, एमओएचएफडब्ल्यू में एक प्रमुख कार्यक्रम है, को प्रकोप प्रवण संचारी रोगों की निगरानी और अनुक्रिया के लिए अधिदेशित किया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में निम्नलिखित उद्देश्य से की गई थी -

- महामारी प्रवण रोगों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए
- रोग के रुझान की निगरानी करने के लिए
- शुरुआती बढ़ते चरण में प्रकोपों का पता लगाने और अनुक्रिया करने के लिए
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित अनुक्रिया दलों (आरआरटी) के एक प्रशिक्षित कैडर का निर्माण करने के लिए
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय निगरानी एकक (सीएसयू), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निगरानी एकक (एसएसयू) और जिला स्तर पर जिला निगरानी एकक (डीएसयू) है। देश में प्रकोप संभावित रोग के किसी भी मामले की जांच आवश्यकता के अनुसार जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर त्वरित अनुक्रिया दलों (आरआरटी) द्वारा प्रकोप जांच के एक भाग के रूप में की जाती है।

निगरानी उपकरण में उप-केन्द्र स्तर पर एएनएम द्वारा भरा गया एस (सिन्ड्रोमिक) फॉर्म, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरा गया पी (संभाव्य) फार्म और मानक मामला परिभाषाओं के अनुसार प्रयोगशालाओं द्वारा भरा गया एल (प्रयोगशाला पुष्टिकृत) फार्म शामिल होता है। प्रत्येक राज्य में इन रोगों की जांच और निगरानी के लिए आईडीएसपी के तहत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीपीएचएल), राज्य रेफरल प्रयोगशालाओं (एसआरएल) जैसी प्रयोगशालाओं को नामोद्दिष्ट किया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां, सरकार ने भारत में 20 महानगरों (10 टीयर 1 और 10 टीयर 2 शहरों) में महानगर निगरानी इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कोई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

****